04/07/25

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष उप.
वाद परिवाद स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय
अलग से लिखा गया। डिक्री जारी हो। पत्रावली
नंबर से खारिज हो।

निर्णय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2022/37

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.07.09 14:46:08 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. : 139/2022 GCMS:-2022/37 दायर दिनांक : 06.06.2022

1. सुल्तान पुत्र प्रमेश्वरी पत्नी कांशीगिर
2. दलीप पुत्र प्रमेश्वरी पत्नी कांशीगिर
3. मनफूल पुत्र प्रमेश्वरी पत्नी कांशीगिर

} अकवाम गोसांई (गुंशाई) साकिन चक 10 एम.सी. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

—वादीगण

बनाम

1. अमरचन्द पुत्र जेठाराम जाति जाट साकिन पीपासर तहसील सूरतगढ़
2. कृष्णलाल पुत्र पृथ्वीराज
3. सोहनलाल पुत्र पृथ्वीराज

} अकवाम गोसांई साकिनान गणेशगढ़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर

4. जरनैलसिंह पुत्र सोहनसिंह जाति जटसिख साकिन वार्ड नं. 6, लठ्ठावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज.)
5. महादेव प्रसाद पुत्र रूपराम (फौत) साकिन सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़

5/1. सत्यनारायण पुत्र महादेव प्रसाद (फौत)

5/1/1. सुशील पुत्र सत्यनारायण
5/1/2. संजय पुत्र सत्यनारायण
5/1/3. मुनी पुत्री सत्यनारायण
5/1/4. सुमन पुत्री सत्यनारायण
5/1/5. कुसुम पुत्री सत्यनारायण
5/1/6. अन्जु पुत्री सत्यनारायण
5/1/7. सरिता पुत्री सत्यनारायण
5/1/8. मन्जू पुत्री सत्यनारायण

} अकवाम गौरीसरिया निवासी एच.डी.एफ.सी. बैंक के पास जयपुर (राज.)

5/1/9. संदीप पुत्र सत्यनारायण (फौत)

5/1/9/1. आरती पत्नी संदीप
5/1/9/2. गुनगुन पुत्री संदीप
5/1/9/3. छोटू पुत्र संदीप

} अकवाम गौरीसरिया निवासी एच.डी.एफ.सी. बैंक के पास जयपुर (राज.)

5/2. शंकरलाल पुत्र महादेव प्रसाद जाति गौरीसरिया निवासी पुराना बस स्टेण्ड के सामने, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

5/3. ओमप्रकाश पुत्र महादेव प्रसाद (फौत)

5/3/1. अनिल पुत्र ओमप्रकाश
5/3/2. प्रेम लता पुत्री ओमप्रकाश

} अकवाम गौरीसरिया नि. पुराना बस स्टेण्ड के सामने, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़

क्रमशः ..... पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.07.09 14:46:08 IST
Reason: SelfAttested

5/4. श्याम सुन्दर पुत्र महादेव प्रसाद (फौत)

5/4/1. गणेश पुत्र श्याम सुन्दर
5/4/2. सुनिता पुत्री श्याम सुन्दर
5/4/3. सुनिता पुत्री श्याम सुन्दर
5/4/4. सन्तोष पुत्री श्याम सुन्दर
5/4/5. रीतू पुत्री श्याम सुन्दर
5/4/6. माया पुत्री श्याम सुन्दर
5/4/7. पुष्पा देवी पत्नी श्याम सुन्दर

} अकवाम गौरीसरिया साकिनान वार्ड नं. 2, लूणकरणसर जिला बीकानेर (राज.)

6. जगदीश पुरी पुत्र भादरपुरी
7. दुर्गा पुत्री भादरपुरी
8. राजेन्द्र पुरी पुत्र भादरपुरी
9. शारदा पुत्री भादरपुरी
10. गीता पुत्री मानभारती
11. मली उर्फ सावित्री पुत्री मानभारती
12. लिछमा पुत्री मानभारती
13. विद्या पुत्री मानभारती
14. दली उर्फ शान्ति पुत्री मानभारती
15. पार्वती पुत्री मानभारती
16. मिनावती पुत्री मानभारती
17. रतीराम भारती पुत्र मानभारती
18. श्योपत भारती पुत्र मानभारती

} अकवाम गोसांई (गुंशाई) साकिनान चक 10 एम.सी. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

19. बृजाराम पुत्र प्रमेश्वरी पत्नी कांशीगिर (फौत)

19/1. शारदा पत्नी बृजाराम
19/2. पूनम पुत्री बृजाराम
19/3. मंजू पुत्री बृजाराम
19/4. निर्मला पुत्री बृजाराम
19/5. बिमु पुत्री बृजाराम
19/6. महेन्द्र पुत्र बृजाराम
19/7. बाधु पुत्री बृजाराम
19/8. ममता पुत्री बृजाराम
19/9. रेखा पुत्री बृजाराम

} अकवाम गोसांई (गुंशाई) साकिनान चक 10 एम.सी. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

20. उप–पंजीयक, रा[illegible]

21. राजस्थान सरकार [illegible] तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़

–प्रतिवादीगण

क्रमशः ..... पेज 3 पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.07.09 14:46:08 IST
Reason: SelfAttested

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :

1. श्री कमल दत्त शर्मा, अभिभाषक वादीगण
2. श्री कुलविन्द्र सिंह, अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 2, 3, 4 व 5
3. श्री श्याम दीन, अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 12 से 20, 4 व 5
4. पैरोकार राज

निर्णय

दिनांक : 05.07.2025

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अभिभाषकगण पक्षकारान व पैरोकार राज उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तथ्यात्मक स्थिति पत्रावली इस प्रकार से है कि वादीगण ने वाद प्रस्तुत कर संयुक्त खाता की खातेदारी कृषि भूमि चक 10 एम.सी. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 के संयुक्त खाता सं. 10/15 के पत्थर नं. 159/35 (45), 159/42 (19), 159/43 (44), 159/50 (20) व 159/51 (43) में अंकित कुल 9.108 है0 कमाण्ड मय खाला भूमि में अपने नाम अंकित कुल 2.783 है0 का मुताबिक कब्जा खाता विभाजन व प्रतिवादीगण सं. 19/1 से 19/9 को 0.325 है0 का उक्त खाते में खातेदार घोषित कर मुताबिक कब्जा अलग खाता कायम करने का अनुतोष चाहा है।

वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं. 2 से 5 की ओर से अभिभाषक श्री कुलविन्द्र सिंह व प्रतिवादीगण सं. 12 से 20, 4 व 5 की ओर से अभिभाषक श्री श्यामदीन पेश हुए व जवाबदावा प्रस्तुत किया। समाचार–पत्र के माध्यम से तलबी किये जाने के बावजूद उपस्थित नहीं आने पर प्रतिवादीगण सं. 1, 6/1/1 से 6/1/8, 6/1/9/1 से 6/1/9/3, 6/2, 6/3/1, 6/3/2, 6/4/1 से 6/4/7, 7 से 11, 21/1 से 21/9, 22, 23 (संशोधित वाद शीर्षक के प्रतिवादीगण सं. 1, 5/1/1 से 5/1/8, 5/1/9/1 से 5/1/9/3, 5/2, 5/3/1, 5/3/2, 5/4/1 से 5/4/7, 6 से 9, 19/1 से 19/9, 20, 21) के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। शेष प्रतिवादीगण ने अ[illegible] आ[illegible]क्त कथन में कब्जा अनुसार खाता विभाजन से इन्कार नहीं किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.07.09 14:46:08 IST
Reason: SelfAttested

जवाब प्राप्त होने पर निम्नानुसार तनकीहात कायम की गई :—

क्रमशः ..... पेज 4 पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(1) आया वादीगण व प्रतिवादी नं. 19/1 से 19/9 जैर खाता भूमि में संयुक्त रूप से दर्ज होने के कारण मुताबिक कब्जा काश्त के पत्थर नं. 159/50 के किला नं. 23 में 0.113 है0, 24 में 0.210 है0 = 0.323 है0 व पत्थर नं. 159/51 (43) के किला नं. 2 से 4, 6 से 9, 12 से 15 में 2.783 है0, कुल 3.106 है0 भूमि में वादीगण बहिस्सा बराबर 2.783 है0 एवं प्रतिवादीगण नं. 19/1 से 19/9 बहिस्सा बराबर 0.325 है0 भूमि का खाता विभाजन प्राप्त करवाने के अधिकारी हैं ? (वादीगण)

(2) आया वादीगण एवं प्रतिवादीगण 19/1 से 19/9 खाता विभाजन पश्चात् अलग खाता कायम करवाने के अधिकारी हैं ? (वादीगण)

(3) अन्य अनुतोष।

तनकीयात कायम किये जाने के पश्चात् साक्ष्य लिये गये। वादीगण की ओर से स्वयं के शपथ–पत्र पर बयान ताईदी वाद प्रस्तुत किये गये, जिनका प्रतिपरीक्षण नहीं हुआ। वादीगण और साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहते, इसलिए साक्ष्य वादीगण बन्द किये गये। प्रतिवादीगण की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने पर साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द किये गये। साक्ष्य प्रस्तुत होने के पश्चात् बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक वादीगण ने वाद–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वादी की तनकियों को सिद्ध होना बताया। वादीगण ने जमाबन्दी में अपने नाम अंकित भूमि का अवलोकन करवाया व वाद दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध होना बताते हुए वाद स्वीकार कर डिक्री करने की प्रार्थना की।

अभिभाषक प्रतिवादीगण ने जवाबदावा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कब्जा अनुसार व अतिरिक्त कथन जवाबदावा को ध्यान में रखते हुए वाद में निर्णय किये जाने की प्रार्थना की।

पक्षकारान के तर्क सुनने के पश्चात् तर्कों के परिपेक्ष्य में पूर्ण पत्रावली का पठन व मनन किया गया एवं विद्वान अभिभाषकगण के कथनों पर विचारण करने के पश्चात् तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार से है :–

तनकी नं. (1) – आया वादीगण व प्रतिवादी नं. 19/1 से 19/9 जैर खाता भूमि में संयुक्त रूप से दर्ज होने के कारण मुताबिक कब्जा काश्त के पत्थर नं. 159/50 के किला नं. 23 में 0.113 है0, 24 में 0.210 है0 = 0.323 है0 व

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.07.09 14:46:08 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 5 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

पत्थर नं. 159/51 (43) के किला नं. 2 से 4, 6 से 9, 12 से 15 में 2.783 है0, कुल 3.106 है0 भूमि में वादीगण बहिस्सा बराबर 2.783 है0 एवं प्रतिवादीगण नं. 19/1 से 19/9 बहिस्सा बराबर 0.325 है0 भूमि का खाता विभाजन प्राप्त करवाने के अधिकारी हैं ? (वादीगण)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। वादीगण द्वारा इस तनकी को सिद्ध करने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य जमाबन्दी का अवलोकन करवाया जिसमें विवादरहित वादीगण के नाम प्रश्नगत जमाबन्दी में 2.783 है0 भूमि दर्ज कागजात राज है। इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 19 बृजाराम के नाम 0. 325 है0 भूमि दर्ज कागजात राज है। कुल भूमि कमाण्ड है, जिसमें खाला शामिल है। बृजाराम की मृत्यु उपरान्त उसके नाम अंकित खातेदारी भूमि का उनके वारिसों को बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया जाना उचित है। इसी प्रकार विभाजन के नियमों के अनुसार कब्जा काश्त को ध्यान में रखते हुए ही विभाजन के नियम हैं। कुल भूमि में असमानता है, यह कहीं भी पक्षकारान द्वारा नहीं बताया, गया है। अतिरिक्त कथन में आपसी समझौते से काश्त स्वीकार की गई है। वादीगण के शपथ–पत्र के प्रति शपथ–पत्र प्रस्तुत नहीं हुआ, वादीगण का शपथ–पत्र इस आधार पर मानने योग्य है। तनकी नं. 1 इसी प्रकार बहक वादी निर्णय की जाती है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

तनकी नं. (2) – आया वादीगण एवं प्रतिवादीगण 19/1 से 19/9 खाता विभाजन पश्चात् अलग खाता कायम करवाने के अधिकारी हैं ? (वादीगण)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादीगण पर था, जो कि उन्होंने अपने शपथ–पत्र के माध्यम से सिद्ध किया है। काश्तकारी अधिनियमों के अनुसार प्रत्येक अंकित काश्तकार खाता विभाजन करवाने का अधिकारी है। प्रतिवादी सं. 19 बृजाराम के नाम अंकित भूमि का उसके स्वर्गवास उपरान्त उसके वारिसों प्रतिवादीगण सं. 19/1 से 19/9 को तनकी नं. 1 में खातेदार घोषित होने का पात्र मान लिया गया है। इसी अनुसार तनकी नं. 2 बहक वादीगण निर्णय की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.07.09 14:46:08 IST
Reason: SelfAttested

तनकी नं. 1 व 2 बहक वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 19/1 से 19/9 सन्देह से परे सिद्ध होने से वादीगण का दावा स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

क्रमशः ..... पेज 6 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

उपरोक्त विवेचन अनुसार वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वाके चक 10 एम.सी. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 के संयुक्त खाता सं. 10/15 के पत्थर नं. 159/35 (45) के किला नं. 5 = 0.253 है0, पत्थर नं. 159/42 (19) के किला नं. 16–17/0.506 है0, 22 से 25/1.012 है0 = 1.518 है0, पत्थर नं. 159/43 (44) के किला नं. 1 से 5 = 1.265 है0, पत्थर नं. 159/50 (20) के किला नं. 8–9/0.506 है0, 11 से 13/0.759 है0, 18 से 24/1.771 है0 = 3.036 है0 व पत्थर नं. 159/51 (43) के किला नं. 1 से 4/1.012 है0, 6/1 में 0.228 है0, 6/2 में 0.025 है0, 7 से 9/0.759 है0, 12 से 14/0.759 है0, 15/1 में 0.228 है0, 15/2 में 0.025 है0 = 3.036 है0, कुल 9.108 है0 (9.058 है0 कमाण्ड व 0.050 है0 खाला) भूमि में प्रतिवादी सं. 19 बृजाराम पुत्र प्रमेश्वरी जाति गोसाई (गुंशाई) सा. देह के नाम अंकित 325/9108 भूमि का प्रतिवादीगण सं. 19/1 से 19/9 शारदा पत्नी बृजाराम, पूनम, मंजू, निर्मला, बिमु, महेन्द्र, बाधु, ममता, रेखा पुत्र/पुत्रीयान बृजाराम अकवाम गौसांई (गुंशाई) निवासीयान 10 एम.सी. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर को बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित किया जाता है एवं तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ को घोषणा के फलस्वरूप उक्त खाता में बृजाराम पुत्र प्रमेश्वरी के नाम अंकित 325/9108 हिस्सा भूमि बृजाराम पुत्र प्रमेश्वरी के नाम से कलमजन कर प्रतिवादीगण सं. 19/1 से 19/9 के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा बाद अंकन जमाबन्दी उक्त चक 10 एम.सी. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 के संयुक्त खाता सं. 10/15 में अंकित कुल 9.108 है0 कमाण्ड मय खाला भूमि के खाता विभाजन की स्वीकृति दी जाती है व कब्जा अनुसार वादीगण का बहिस्सा बराबर 2.783 है0 भूमि का व प्रतिवादीगण सं. 19/1 से 19/9 का बहिस्सा बराबर 0.325 है0 भूमि का अन्य प्रतिवादीगण से अलग–अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक 09.07.2025 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.07.09 14:46:08 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(आ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्दम इब्तदाई

अज अदालत – सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

बइजलास – सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.

अनवान :–

1. सुल्तान पुत्र प्रमेश्वरी पत्नी कांशीगिर
2. दलीप पुत्र प्रमेश्वरी पत्नी कांशीगिर
3. मनफूल पुत्र प्रमेश्वरी पत्नी कांशीगिर

} अकवाम गोसांई (गुंशाई) साकिन चक 10 एम.सी. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

–वादीगण

बनाम

1. अमरचन्द पुत्र जेठाराम जाति जाट साकिन पीपासर तहसील सूरतगढ़
2. कृष्णलाल पुत्र पृथ्वीराज
3. सोहनलाल पुत्र पृथ्वीराज

} अकवाम गोसांई साकिनान गणेशगढ़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर

4. जरनैलसिंह पुत्र सोहनसिंह जाति जटसिख साकिन वार्ड नं. 6, लठ्ठावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज.)
5. महादेव प्रसाद पुत्र रूपराम (फौत) साकिन सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़

5/1. सत्यनारायण पुत्र महादेव प्रसाद (फौत)

5/1/1. सुशील पुत्र सत्यनारायण
5/1/2. संजय पुत्र सत्यनारायण
5/1/3. मुनी पुत्री सत्यनारायण
5/1/4. सुमन पुत्री सत्यनारायण
5/1/5. कुसुम पुत्री सत्यनारायण
5/1/6. अन्जु पुत्री सत्यनारायण
5/1/7. सरिता पुत्री सत्यनारायण
5/1/8. मन्जू पुत्री सत्यनारायण

} अकवाम गौरीसरिया निवासी एच.डी.एफ.सी. बैंक के पास जयपुर (राज.)

5/1/9. संदीप पुत्र सत्यनारायण (फौत)

5/1/9/1. आरती पत्नी संदीप
5/1/9/2. गुनगुन पुत्री संदीप
5/1/9/3. छोटू पुत्र संदीप

} अकवाम गौरीसरिया निवासी एच.डी.एफ.सी. बैंक के पास जयपुर (राज.)

5/2. शंकरलाल पुत्र महादेव प्रसाद जाति गौरीसरिया निवासी पुराना बस स्टेण्ड के सामने, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

5/3. ओमप्रकाश पुत्र महादेव प्रसाद (फौत)

5/3/1. अनिल पुत्र ओमप्रकाश
5/3/2. प्रेम लता पुत्री ओमप्रकाश

} अकवाम गौरीसरिया नि. पुराना बस स्टेण्ड के सामने, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़

5/4. श्याम सुन्दर पुत्र महादेव प्रसाद (फौत)

5/4/1. गणेश पुत्र श्याम सुन्दर
5/4/2. सुनिता पुत्री श्याम सुन्दर
5/4/3. सुनिता पुत्री श्याम सुन्दर
5/4/4. सन्तोष पुत्री श्याम सुन्दर
5/4/5. रीतू पुत्री श्याम सुन्दर
5/4/6. माया पुत्री श्याम सुन्दर
5/4/7. पुष्पा देवी पत्नी श्याम सुन्दर

} अकवाम गौरीसरिया साकिनान वार्ड नं. 2, लूणकरणसर जिला बीकानेर (राज.)

6. जगदीश पुरी पुत्र भादरपुरी
7. दुर्गा पुत्री भादरपुरी
8. राजेन्द्र पुरी पुत्र भादरपुरी
9. शारदा पुत्री भादरपुरी
10. गीता पुत्री मानभारती
11. मली उर्फ सावित्री पुत्री मानभारती
12. लिछमा पुत्री मानभारती
13. विद्या पुत्री मानभारती
14. दली उर्फ शान्ति पुत्री मानभारती
15. पार्वती पुत्री मानभारती
16. मिनावती पुत्री मानभारती
17. रतीराम भारती पुत्र मानभारती
18. श्योपत भारती पुत्र मानभारती

} ... गोसांई (गुंशाई) साकिन चक 1K एम.सी. ... सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.07.09 14:46:08 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

19. बृजाराम पुत्र प्रमेश्वरी पत्नी कांशीगिर (फौत)

19/1. शारदा पत्नी बृजाराम
19/2. पूनम पुत्री बृजाराम
19/3. मंजू पुत्री बृजाराम
19/4. निर्मला पुत्री बृजाराम
19/5. बिमु पुत्री बृजाराम
19/6. महेन्द्र पुत्र बृजाराम
19/7. बाधु पुत्री बृजाराम
19/8. ममता पुत्री बृजाराम
19/9. रेखा पुत्री बृजाराम

} अकवाम गोसांई (गुंशाई) साकिनान चक 10 एम.सी. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

20. उप–पंजीयक, राजियासर स्टेशन

21. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत 88, 53 व 209 आर.टी.ए. मुकदमा नं. 139 वर्ष 2022 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर अभिभाषक वादीगण श्री कमल दत्त शर्मा व अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 2, 3, 4, 5 श्री कुलविन्द्र सिंह एवं अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 12 से 20, 4, 5 श्री श्यामदीन तथा पैरोकार राज के पेश होने पर निम्न प्रकार से डिक्री जारी कर, आदेश प्रदान किये जाते हैं :

वाके चक 10 एम.सी. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 के संयुक्त खाता सं. 10/15 के पत्थर नं. 159/35 (45) के किला नं. 5 = 0.253 है0, पत्थर नं. 159/42 (19) के किला नं. 16–17/0.506 है0, 22 से 25/1.012 है0 = 1.518 है0, पत्थर नं. 159/43 (44) के किला नं. 1 से 5 = 1.265 है0, पत्थर नं. 159/50 (20) के किला नं. 8–9/0.506 है0, 11 से 13/0.759 है0, 18 से 24/1.771 है0= 3.036 है0 व पत्थर नं. 159/51 (43) के किला नं. 1 से 4/1.012 है0, 6/1 में 0.228 है0, 6/2 में 0.025 है0, 7 से 9/0.759 है0, 12 से 14/0.759 है0, 15/1 में 0.228 है0, 15/2 में 0.025 है0 = 3.036 है0, कुल 9.108 है0 (9.058 है0 कमाण्ड व 0.050 है0 खाला) भूमि में प्रतिवादी सं. 19 बृजाराम पुत्र प्रमेश्वरी जाति गोसाई (गुंशाई) सा. देह के नाम अंकित 325/9108 भूमि का प्रतिवादीगण सं. 19/1 से 19/9 शारदा पत्नी बृजाराम, पूनम, मंजू, निर्मला, बिमु, महेन्द्र, बाधु, ममता, रेखा पुत्र/पुत्रीयान बृजाराम अकवाम गोसांई (गुंशाई) निवासीयान 10 एम.सी. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर को बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित किया जाता है एवं तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ को घोषणा के फलस्वरूप उक्त खाता में बृजाराम पुत्र प्रमेश्वरी के नाम अंकित 325/9108 हिस्सा भूमि बृजाराम पुत्र प्रमेश्वरी के नाम से कलमजन कर प्रतिवादीगण सं. 19/1 से 19/9 के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा बाद अंकन जमाबन्दी उक्त चक 10 एम.सी. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 के संयुक्त खाता सं. 10/15 में अंकित कुल 9.108 है0 कमाण्ड मय खाला भूमि के खाता विभाजन की स्वीकृति दी जाती है व कब्जा अनुसार वादीगण का बहिस्सा बराबर 2.783 है0 भूमि का व प्रतिवादीगण सं. 19/1 से 19/9 का बहिस्सा बराबर 0.325 है0 भूमि का अन्य प्रतिवादीगण से अलग–अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

नोज ....×......... मुबलिंग [illegible] ×[illegible] खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह ....×.............. [illegible] ×............आज की तारीख से तारीख वसूल्या वो तक की अदा [illegible]

बसिव्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 09.07.2025 को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.07.09 14:46:08 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़